एस. एल.	तिथि	कार्यालय टिप्पणी, संख्या रिपोर्ट, आदेश या कार्यवाही या दिशाएँ और निबंधक के साथ आदेश हस्ताक्षर के साथ	न्यायालय या न्यायाधीश के आदेश
			एओ संख्या 464 सन 2023 **<u>माननीय मनोज कुमार तिवारी, ए. सी. जे.</u>** श्री वी. के. कापरूवान, अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता। श्री आई. पी. कोहली, उत्तराखंड राज्य के लिए स्थायी वकील। 2. यह भारत संघ द्वारा दायर एक अपील है , जिसमें विविध वाद संख्या 41/2022 में जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.07.2023 को चुनौती दी गयी है । उक्त निर्णय द्वारा, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन को देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया था। 3. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 की उप-धारा (3), धारा 34 के तहत एक आवेदन दाखिल करने के लिए सीमा की अवधि प्रदान करती है, जो निम्नानुसार है : " (3) रद्द करने के लिए कोई आवेदन उस तारीख से तीन महीने बीत जाने के बाद नहीं किया जा सकता है जिस दिन उस आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, या यदि धारा 33 के तहत अनुरोध किया गया था, जिस तारीख से उस अनुरोध को मध्यस्थ अधिकरण द्वारा निपटारा किया गया था। बशर्ते कि यदि न्यायालय संतुष्ट है कि आवेदक को तीन महीने की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था तो वह तीस दिनों की अतिरिक्त अवधि के भीतर आवेदन पर विचार कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं "। 4. निस्सन्देह अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 34 के तहत निर्धारित सीमा अवधि यानी 90 दिनों की समाप्ति के काफी बाद और यहां तक कि अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार 30 दिनों की समाप्ति के बाद भी एक आवेदन दायर किया था। 5. चूंकि परिसीमा अधिनियम के प्रावधान मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 में निहित प्रावधानों को लागू करके आवेदन दाखिल करने में हुई देरी को माफ नहीं किया जा सकता है। इस पहलू को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड बनाम महेशभाई टीनाभाई राठौड़ के मामले में निपटाया है, जिसे (2022) 4 एससीसी162 में रिपोर्ट किया गया है। 6. मामले को देखते हुए, इस न्यायालय को आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता । 7. अत:, अपील विफल हो जाती है और खारिज की जाती है ।

			(मनोज कुमार तिवारी, ए. सी. जे) 08.12.2023 *अर्पन*